मु0न0–08/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांकः– 02.02.2023

मु0न0 08/2023

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. अशोक कुमार पि0 श्रीमोहन
2. जितेश कुमार पि0 श्रीमोहन
   जाति मीना निवासी भोपुर तहसील टोडाभीम। (सायलान)

बनाम

1. कालूराम पुत्र रामसहाय
2. श्रीमति धनफूली पत्नि कालूराम
3. लक्ष्मीकान्त पुत्र कालूराम
4. ललित कुमार पुत्र कालूराम
   जाति मीना निवासी बहादुरपुर तहसील टोडाभीम। (गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री राधारमण शर्मा एडवोकट सायलान
श्री विजय भारती एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय दिनांक 27.06.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम बहादुरपुर की आराजी ख0न0 1650 रकवा 0.19 है0 सायलान की खातेदारी व कब्जे की राजी है। जिसमे सायलान मौके पर काबिज एवं दखील है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व्रत 2073–76 मे सायलान की खातेदारी बखूबी दर्ज है। उक्त आराजी को सायलान ने रजिस्टर्ड क्रय पत्र गैरसायल न0 1 कालूराम से दिनांक 11.03.2022 को कय कर कब्जा मौके पर बाकई से प्राप्त किया है। गैरसयलान या अन्य किसी व्यक्ति का उक्त आराजीयात से किसी प्रकार का ई संबध नही रहा है।

यह है कि ख0न0 1653 रकवा 0.47 है0 मे सायलान 1/2 हिस्से का खातेदार तकार दर्ज रिकार्ड है। जिसमे सायलान मौके पर काबिज एवं दखील है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड बन्दी सम्वत 2073–76 से बखूबी दर्ज है। उक्त आराजीयात सायलान ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ायल न0 1 कालूराम से दिनांक 11.03.2022 को कय कर कब्जा प्राप्त किया है।

उक्त वर्णित आराजीयात ख0न0 1650/0.19 है0, 1653/0.47 है0 पर काबिज एवं ल है फसल दर फसल काश्त करते चले आ रहे है। जिससे गैरसायलान या अन्य व्यक्ति का आराजीयात से किसी प्रकार का कोई संबध नही रहा है। दिनांक 27.11.2022 को गैरसायलान ायलान द्वारा उक्त आराजीया तमे बोई सरसो की फसल को नष्ट कर दिया। जिससे सायलान ाखो रूपये का नुकसान हो गया। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट न0 420/2022 थाना बालघाट चाराधीन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:59:34 IST
Reason: SelfAttested

बॉका दिनांक 26.01.2023 को लगभग 10 बजे ... उक्त ीया तमे पुनः उनके द्वारा बोई गई सरसो की फसल ... गैरसायल न0 4 अपने साथ बदमाश व्यक्तियो को लेकर सायलान की आराजीयात मे ... कर गये और ान को मारने दौडे और धमकी देने लगे कि उक्त आराजीयात को उनके नाम बिना किसी के ट्रान्सफर करवाओ अन्यथा हम तुम्हे काश्त करने नही देगे। सायलान ने काफी समझाने का

न किया लेकिन वे नही माने। गैरसायलान ने सायलान की सम्पूर्ण आराजीयात पर जबरदस्ती से की ताकत से कब्जा करने की धमकी दी है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा करना आवश्यक हुआ है।

यह है कि गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करने उन्हे किसी प्रकार की क्षति नही है, जबकि पाबन्द नही करने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति भी प्रकार से संभव नही है। सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है। सुविधा का तन भी सायलान के पक्ष मे है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार या जाकर गैरसायलान को इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम बहादुरपुर की आराजी न0 1650/0.19, 1653/0.47 है0 मे सायलान के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा ना उत्पन्न करे और नाही सायलान के खिलाफ झूठा आपराधिक मुकदमा दर्ज करावे और नाही दे देवे। गैरसायलान मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी न0 1 ता 4 की ओर से श्री विजय भारती एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो ल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी वकील को न्यायहित मे कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी ब पेश नही करने से तथा अनुपस्थित न्यायालय रहने से प्रतिवादी वकील का जबाब बन्द किया र इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर सायल वकील की बहस सुनी गई।

सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि ना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे ख0न0 1650 रकबा 0.19 है0 सायलान की खातेदारी व कब्जे आराजी है। ख0न0 1653 रकबा 0.47 है0 मे सायलान 1/2 जिसमे सायलान मौके पर काबिज उक्त आराजी को सायलान ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र गैरसायल न0 1 कालूराम से दिनांक 11.03. 2 को क्रय कर कब्जा मौके पर बाजई रूप से प्राप्त किया है। जिससे गैरसायलान या अन्य भी व्यक्ति का उक्त आराजीयात से किसी प्रकार का कोई संबंध नही रहा है। फसल दर फसल त करते चले आ रहे है। जिससे गैरसायलान या अन्य व्यक्ति का उक्त आराजीयात से किसी र का कोई संबंध नही रहा है। दिनांक 27.11.2022 को गैरसायलान ने सायलान द्वारा उक्त जीया उगे बोई सरसो की फसल को नष्ट कर दिया। जिससे सायलान को लाखो रूपये का सान हो गया। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट न0 420/2022 थाना बालघाट मे विचाराधीन है। सायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करने उन्हे किसी प्रकार की कोई क्षति नही है, कि पाबन्द नही करने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से व नही है। सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है। सुविधा का संतुलन भी सायलान पक्ष मे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को पाबन्द फरमाया जावे कि वे सायलान कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

सायल वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन । पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के ख0न0 1560/0.19 है0 मे सम्पूर्ण मे लान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा ख0न0 1653/0.47 है0 मे सायलान 1/2 हिस्से खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा शेष हिस्से के मुताबिक [illegible] काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। लेकिन प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड न [illegible] ही वादी ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया है। जिससे आराजी [illegible] किसी प्रकार [illegible] रहा हो। गैरसायलान को जबाब पेश करने के कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाब नही किया है, और बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने से प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे साबित है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसमे गैरसायलान को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:59:34 IST
Reason: SelfAttested

किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति नही होगी। उक्त विवेचन से सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः ग्राम बहादुरपुर की आराजी ख0न0 1650/0.19, 1653/0.47 है0 मे गैरसायलान को ता दावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वर्णित आराजीयात मे कब्जेकाश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:59:34 IST
Reason: SelfAttested